20

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है जिसमें सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (आंतरिक कार्यचालन) के प्रक्रिया नियमों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

संरचना

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोक सभा द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं और 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से इसी विधि से निर्वाचित किये जाते हैं तथा समिति में सहयोजित किये जाने हेतु नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं।

इस निर्वाचन प्रणाली से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रत्येक दल/समूह को सभाओं में उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

निर्वाचन प्रक्रिया

2. संसदीय कार्य मंत्री अथवा समिति के/की सभापति, यदि पदासीन हों, द्वारा सभा में हर वर्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सभा के सदस्यों में से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 15 सदस्य निर्वाचित करने का अनुरोध किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् लोक सभा समाचार-भाग दो में एक कार्यक्रम अधिसूचित किया जाता है जिसमें नामांकन प्रस्तुत करने, नाम वापस लेने तथा निर्वाचन, यदि आवश्यक हो, की

तिथियां निर्धारित की जाती हैं। नामांकन पत्रों की प्राप्ति के पश्चात् नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की सूची सूचना-पट्ट पर लगायी जाती है। यदि नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो तो, नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नाम वापस लेने की निर्धारित तिथि के बाद निर्वाचित घोषित किया जाता है और परिणाम समाचार-भाग 2 में प्रकाशित किया जाता है। यदि नाम वापस लेने के बाद भी नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो निर्धारित तिथि को निर्वाचन किया जाता है तथा निर्वाचन का परिणाम लोक सभा समाचार-भाग 2 में प्रकाशित किया जाता है।

राज्य सभा के सदस्यों को सहयोजित करना

3. लोक सभा में एक दूसरा प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाता है जिसमें राज्य सभा से सिफारिश की जाती है कि वह समिति में सहयोजित किए जाने के लिए अपने सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करे। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद उसे एक संदेश के माध्यम से राज्य सभा को भेज दिया जाता है। राज्य सभा समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन करती है तथा निर्वाचित सदस्यों के नामों की सूचना लोक सभा को भेजती है।

सभापति की नियुक्ति

4. समिति का/की सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है/की जाती है।

मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता

5. किसी भी मंत्री को समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता और यदि किसी सदस्य को समिति के लिए निर्वाचन के बाद मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहता/रहती है।

कार्यकाल

6. समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।

सरकारी समितियों में सदस्यों का सम्मिलित होना

7. किसी सदस्य को उसके सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये निर्वाचित होने पर समिति सचिवालय को सरकार द्वारा गठित उन विभिन्न समितियों का ब्यौरा देना होता है जिनका वह सदस्य है ताकि ये ब्यौरे अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकें। जहां अध्यक्ष किसी सदस्य का सरकारी समिति में रहना अनुपयुक्त समझता/समझती है, तो सदस्य को उस समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देना होता है। जहां अध्यक्ष किसी सदस्य को सरकारी समिति का सदस्य बने रहने की अनुमति देता/देती है, तो वह यह मांग कर सकता/सकती है कि सरकारी समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करने से पूर्व सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समक्ष ऐसी टिप्पणी के लिए जिसे वह ठीक समझे, रखा जाए। जब कभी

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति को या किसी सदस्य को सरकार द्वारा गठित किसी समिति की सदस्यता स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उस नियुक्ति के स्वीकार किये जाने से पूर्व उस मामले को भी अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है।

कृत्य और कार्य-क्षेत्र

8. इस समिति के कृत्य हैं—लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम की चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की और यदि उनके बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करना और सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में, यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं। समिति ऐसे विषयों या मामलों की भी जांच कर सकती है जो सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेषरूप से सौंपे जायें। परन्तु समिति प्रमुख सरकारी नीति संबंधी ऐसे मामले की जो कि सरकारी उपक्रमों के व्यापार अथवा वाणिज्यिक कृत्यों से भिन्न है, दैनिक प्रशासन संबंधी मामले अथवा ऐसे मामले की जिन पर विचार करने के लिए उस विशेष संविधि की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष स्थापित किया गया है, जांच और छानबीन नहीं करेगी।

4

जांच के लिए विषयों का चयन

9. समिति जांच के लिए ऐसे उपक्रमों/विषयों का चयन कर सकती है जिनका व्यापक मूल्यांकन भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा संसद में प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) में किया गया है। इसके अलावा समिति स्वतंत्र रूप से जांच के लिए स्वेच्छा से भी कुछ अन्य उपक्रमों/विषयों का चयन कर सकती है। समिति व्यापक समस्तरीय अध्ययन के लिए विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण के किसी एक या अधिक पहलुओं को भी चुन सकती है।

अध्ययन दलों/उप-समितियों का गठन

10. समिति द्वारा चुने गये विभिन्न विषयों का व्यापक अध्ययन करने के लिए तथा प्रक्रिया संबंधी एवं सामान्य मामलों पर विचार करने के लिए सभापति द्वारा आवश्यकतानुसार समिति के सदस्यों में से कई अध्ययन दलों का गठन किया जाता है। पिछले प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा भेजे गये ''की-गई-कार्यवाही'' संबंधी उत्तरों की जांच करने तथा की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए भी एक उप-समिति गठित की जाती है।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा सहायता

11. नियंत्रक-महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के आधार पर समिति द्वारा चुने गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जांच में समिति की सहायता करता है।

सरकार/सरकारी उपक्रमों से जानकारी मांगना

12. सर्वप्रथम समिति मंत्रालय/सरकारी उपक्रमों से जांच के लिये चुने गये सरकारी उपक्रमों के कार्यचालन के संबंध में प्राथमिक सामग्री मांगती है। इसके बाद समिति सरकार/उपक्रम से जांचाधीन सरकारी उपक्रम के कार्यचालन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगती है।

गैर-सरकारी व्यक्तियों से ज्ञापन

13. समिति गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों/भागीदारों आदि से भी जांचाधीन विषयों के बारे में ज्ञापन मांग सकती है जिन्हें जांचाधीन क्षेत्रों/विषयों की जानकारी है।

गैर-सरकारी व्यक्तियों का साक्ष्य

14. समिति विचाराधीन विषयों के बारे में ज्ञापन देने वाले विशेषज्ञों/गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुला सकती है।

अध्ययन दौरे

15. समिति विचाराधीन विषयों से संबंधित विभिन्न सरकारी उपक्रमों, संगठनों और इकाइयों का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करती है। इस प्रयोजनार्थ, आवश्यक समझे जाने पर समिति के सदस्यों को अध्ययन दलों में बांटा जाता है। प्रत्येक अध्ययन दौरा अध्यक्ष, लोक सभा की विशिष्ट अनुमति से किया जाता है।

सरकारी प्रतिनिधियों का साक्ष्य

16. समिति उपक्रमों के और इन उपक्रमों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेती है।

मंत्रियों को समिति के समक्ष नहीं बुलाया जाता

17. समिति द्वारा सरकारी उपक्रमों की जांच किये जाने के संबंध में किसी प्रकार के परामर्श के लिए या साक्ष्य देने के लिए किसी मंत्री को समिति के समक्ष नहीं बुलाया जाता। तथापि, समिति का/की सभापति, यदि आवश्यक समझे, समिति द्वारा किया जाने वाला विचार-विमर्श पूरा हो जाने के बाद संबंधित मंत्री से अनौपचारिक बातचीत कर सकता/सकती है ताकि उसे निम्नलिखित के संबंध में जानकारी दे सके—(क) मंत्रालय या उपक्रमों द्वारा निर्धारित नीति संबंधी कोई मामला जिससे समिति पूर्णत: सहमत नहीं है; (ख) कोई ऐसा गुप्त या गोपनीय मामला जिसका समिति अपने प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं करना चाहती।

साक्ष्योत्तर चरण पर मंत्रालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से जानकारी मांगना

18. समिति मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य से निकले पहलुओं पर मंत्रालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से जानकारी मांग सकती है।

प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

19. किसी विषय के संबंध में समिति के निष्कर्ष उसके प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट होते हैं जो कि समिति द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद लोक सभा में समिति के/की सभापति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है किन्तु यदि सभापति स्वयं इसे प्रस्तुत नहीं कर पाता/पाती है, तो यह समिति के किसी ऐसे अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसे इस कार्य के लिए सभापति द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। प्रतिवेदन के साथ समिति की संबंधित बैठकों का कार्यवाही सारांश भी संलग्न किया जाता है। सभापति द्वारा प्राधिकृत समिति के सदस्य द्वारा प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सभा के पटल पर भी रखी जाती है।

समिति के प्रतिवेदनों को सदस्यों की सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाता है। इसलिए प्रतिवेदन में विमत-टिप्पण शामिल करने की कोई प्रणाली नहीं है।

प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्यवाही

20. संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रतिवेदन को संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेजा जाता है जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर कार्यवाही करे और संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए

जाने की तिथि से छह महीने के भीतर उन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी उत्तर भेजे।

मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की-गई-कार्यवाही संबंधी टिप्पणों की समिति/की-गई-कार्यवाही संबंधी उप समिति, यदि इस प्रयोजनार्थ ऐसी कोई समिति गठित की गई हो, द्वारा जांच की जाती है और एक की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन तैयार किया जाता है जिसमें पांच अध्याय शामिल होते हैं अर्थात् (एक) समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट निष्कर्ष और सिफारिशें जिन पर समिति द्वारा टिप्पणी की जाती है; (दो) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है; (तीन) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को ध्यान में रखते हुए आगे कार्यवाही करना नहीं चाहती; (चार) सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं; और (पांच) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के पश्चात् इसे अन्य प्रतिवेदनों की भांति सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में की-गई-कार्यवाही विवरण

21. अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों के संबंध में सरकार से प्राप्त उत्तर और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों

के संबंध में अंतिम उत्तर तथा की-गई-कार्यवाही/टिप्पण/सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के विवरणों के रूप में दोनों सभाओं के पटल पर रखे जाते हैं।

अध्ययन दौरा टिप्पण

22. समिति/अध्ययन ग्रुपों के द्वारा किए गए अध्ययन दौरा टिप्पणों को सचिवालय द्वारा तैयार किया जाता है और उनका अनुमोदन समिति के/की सभापति/संयोजक द्वारा किया जाता है। अध्ययन दौरा टिप्पणों की एक प्रति समिति/अध्ययन ग्रुपों के सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध करायी जाती है और इन्हें संबंधित विषयों हेतु उपयुक्त रूप से प्रयोग में भी लाया जाता है।

[सरकारी उपक्रमों का गठन और कार्यकरण लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 253 से 286, 312क और 312ख द्वारा तथा लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 48-73, 97, 97क, 99, 100 और 102 द्वारा शासित होता है।]